

आदेश

हल्का पट्टवारी आई.एल.आर की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशासा के पश्चात ग्राम तहसीलदार फागी का प्राश्न सं. 475 खसरा नं. में आवेदन पर अनुसार हनुमान पुत्र बिरहीचन्द के स्थान पर हनुमान शुक्ति किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी की प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचारणीय नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम न्यायालय राजा ग्राम कंचमथत फागी प्राश्न में दिनांक 30/05/25 को मजमेआम में सुनाया गया।



30/5/25
रूपद्राणु अधिकारी
फागी